5.रेलपथ ज्यामिति और रेलपथ की चालन विशेषताओं की निगरानी करने के लिए, अत्याधुनिक रेलपथ अभिलेखी यानों, दोलनलेखी यानों और सुवाह त्वरणमापी यंत्रो का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा हैं।

6.चल-स्टाक की स्थिति में सुधार किया गया हैं। चौपाहिया माल-डिब्बों को बेहतर बोगी वात-ब्रेक स्टाक में बदला जा रहा हैं।

7.धुरों के अपने आप टूटे जाने के मामलेए की रोकथाम के लिए धुरों में उत्पन्न होने वाले दोष के मामलों को समय से ढूंढ निकालने के लिए सभी नेमी ओवरहालिंग डिपुओं में पराध्वनिक जांच उपस्कर लगाए गए हैं।

8.कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर प्रोजेक्टर, स्लाइडों, दुर्घटना के मामलों का अध्ययन और उन पर परिचर्चाण जैसी बेहतर प्रशिक्षण जुटा कर और बल दिया गया हैं।

9.चालकों के प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटर संस्थापित किए गए हैं। कानपुर और तुगलकाबाद में एक-एक सिमुलेटर कार्यए कर रहा हैं। दो अन्य आस्ट्रेलिया से आयात किए जा रहे हैं।

10.चलती गाड़ी के चालक को खतरे के सिगनलों के बारे में अग्रिम चेतावनी देने तथा यदि वह चालक पूर्व-निर्धारित समयावधि के भीतर उत्तर न दे तो गाड़ी को रोक देने के लिए सहायक चेतावनी प्रणाली पहलेए ही बंबई के उपनीय खंडों पर चालू कर दी गई हैं।

11.आरक्षित सवारी डिब्बों में अनाधिकृत यात्रियों और ज्वनशील/विस्फोटक सामग्री ले जाने वाले यात्रियों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए कतिपय नामित गाड़ियों में त्वरित कार्रवाई दलों का गठन किया गया हैं।

12.निरीक्षणों और अचानक जांचों की बारंबारात बढ़ा दी गईउ हैं। और संरक्षा अभियान किए गए हैं।

Review of prevention of Food Adulteration Act

1069. SHRI VIRENDRA KATARIA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government have decided to constitute a Committee of experts to review the framework of laws governing Prevention of Food Adulteration Act;

(b) the criteria to be adopted for electing Chairman/members of the Committee and the issues to be covered by it; and

(c) the time by which the committee is likely to submit its report so as to enable Government to make changes in the existing act which has outlived its utility?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI A.R. ANTULAY) (a) and (b) A Task force consisting of eminent jurists, legal and technical experts to be coordinated by the Confederation of Indian Food Trade and Industry (CIFTI) was set up to review the framework of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 and Rules in the context of present day needs.

(c) No time frame has been fixed for submitting the report.

Withdrawal of financial powers from General Managers of Zonal Railways

1070. SHRI PRAMOD MAHAJAN:
SHRI VIREN J. SHAH:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the financial powers of the General Managers of all Zonal Railway; and production units to decide tender; upto Rs. 5 crores have recently beer withdrawn/curtailed;

(b) if so, the details thereof and the reasons therefor;

(c) what are the details of existing limits of financial powers vested with General Managers, Advisors, Member of the Railway Board and the Minister